कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

संख्या– 72 इन्फ/2017–13इन्फ/2009–I लखनऊः दिनांक 19 जनवरी, 2017

सेवा में,

1. अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी/पश्चिमी/मध्य), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन)/(प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त यात्रीकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषयः–प्रायः हो रही स्कूली वाहनों से दुघर्टनाओं के दृष्टिगत स्कूल में संचालित वाहनों की दिनांक 20.01.2017 से 22.01.2017 तक विशेष चेंकिग किये जाने के संबंध में।

प्रायः हो रही स्कूल वाहनों की दुघर्टनाओं के दृष्टिगत स्कूल में संचालित वाहनों की **दिनांक 20.01.2017 से 22.01.2017 तक** विशेष चेंकिग किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. स्कूल वाहनों की फिटनेस दिये जाने के संबंध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं0–1012प्रावि0/2013–टीकवर/2012, दिनांक 20.11.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है, जिसमें यह भी निर्देशित किया गया है कि स्कूल में वही चालक वाहन का संचालन करेगा जिसका ड्राईविंग लाइसेंस न्यूनतम 5 वर्ष पुराना होगा अर्थात अनुभवी चालक द्वारा ही ऐसे वाहन को चलाया जायेगा।

2. मोटरयान अधिनियम में खतरनाक गति या खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत प्रथम अपराध की दशा में अधिकतम 6 माह की सजा एवं 1000/– रू0 के दण्ड का प्राविधान है एवं द्वितीय अपराध की दशा में दो वर्ष की सजा एवं 2000/– रू0 का दण्ड या दोनों प्रकार का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार तेज गति से वाहन चलाने की दशा में भी उक्त अधिनियम की धारा 183 में दण्ड का प्राविधान है।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के खण्ड (f) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के भाग (25) के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग ऐसे कार्य है, जिससे जनता के लिए न्यूसंस या खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है और ऐसी स्थिति में लाईसेंस प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत ड्राईविंग लाईसेंस को धारण करने से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने या ड्राईविंग लाइसेंस को भी निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत स्कूल में संचालित वाहनों से होने वाली दुर्घटना की संभावना को कम/समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाना आवश्यक है:–

1. स्कूलों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया जाये कि स्कूल में संचालित होने वाले वाहनों को चालकों द्वारा किसी भी दशा में वाहन चलाते समय न तो मोबाईल फोन का प्रयोग किया जाये और न ही कान में ईयरफोन लगाकर वाहन का संचालन किया जाये।
2. यदि उपरोक्तानुसार चालकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा स्कूल की सूचना के आधार पर उनके लाइसेंस के विरूद्ध कार्यवाही की जाये और स्कूल प्रबंधन द्वारा ऐसे चालक को सेवा से पृथक कर दिया जाये।
3. स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्यों द्वारा बैठक में यह भी निर्णय कराया जाये कि स्कूल वाहनों के चालकों को ऐन–केन प्रकारेण समय से पहुंचने हेतु बाध्य नहीं किया जाये, ताकि कहीं पर रास्तें में यातायात अवरोध की स्थिति में समय पर स्कूल वाहन के नहीं पहुंचने की दशा में उसके विरूद्ध स्कूल प्रबंधन द्वारा किसी कार्यवाही की आशंका न रहे। स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य यथोचित निर्णय भी कराया जाये और उसे लागू किया जायें।
4. उपरोक्त के साथ–साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि **दिनांक–20.01.2017 से दिनांक–22.01.2017 तक** प्रदेश भर में स्कूली वाहनों की सघन चेंकिग सुनिश्चित की जाये, जिसमें न केवल स्कूल के वाहनों बल्कि स्कूल में अनन्य रूप से ठेका वाहन के रूप में संचालित वाहनों की भी चेंकिग की जाये।

(क) उक्त प्रकार के वाहनों के सभी प्रपत्रों का वैध होना सुनिश्चित किया जाये, **इसके** अतिरिक्त प्रपत्र दिनांक 20.11.2012 में स्कूल बसों की स्वस्थता जांच एवं पंजीयन हेतु जारी की गयी विस्तृत दिशा–निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, यह भी सुनिश्चित किया जाये।

(ख) प्रत्येक स्कूली बसों पर स्कूल का नाम तथा टेलीफोन नं0 लिखा होना चाहिए।

(ग) स्कूली बसें जो अधिकतम 15 वर्ष से अधिक हो किसी भी दशा में संचालित न हो।

(घ) प्रत्येक स्कूल बस में चालक के अलावा यथास्थिति अनुभवी पुरूष तथा महिला सहायक तैनात रहेंगें, जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगें।

(ड़) स्कूल बस के चालक तथा सहायक को ड्यूटी के समय निधारित ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा।

(च) सीटिंग क्षमता के अनुसार प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र आदि लगा होना अनिवार्य होना चाहिए।

(छ) उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निजी वाहन को स्कूली वाहन के रूप में संचालित न हो रहा हो।

(ज) कामर्शियल/निजी वाहन अनाधिकृत एल0पी0जी0 किट लगाकर संचालित न हो रही हो, आदि अनेक सुरक्षा से संबंधित बिन्दुओं पर चेंकिग करना सुनिश्चित किया जाए।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चेंकिग अभियान **(दिनांक–20.01.2017 से दिनांक–22.01.2017 तक)** की प्रतिदिन की दैनिक एवं क्रमिक सूचना संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी के माध्यम से अलग–अलग सायं–5:00 बजे तक पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त चेंकिग अभियान में समस्त स्कूल वाहनों की चेंकिग सुनिश्चित की जाये, कोई स्कूल वाहन चेंकिग से छूट न पाये। यदि उक्त विशेष चेंकिग अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता पायी जाती है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र) तथा अपर परिवहन आयुक्त का होगा।

संलग्नक–यथोक्त।

(के० रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

DETAILS OF ACTION TAKEN AGAINST THE SCHOOL BUS AND OTHER VEHICLES OPERATED IN SCHOOL

DATE 20.01.2017 to 22.01.2017

Sl.No.	Sub-Region/ Region/ Zone	Number of Challan vehicles			Total (3+4+5)	Number of Ceased Vehicles			Total (7+8+9)	Compounding Fees	Remarks
		School Bus	Commercial Maruti vans operated in school	Private Maruti vans in school		School Bus	Commercial Maruti vans operated in school	Private Maruti vans in school			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					0				0		
2					0				0		
3					0				0		
[1]	Region name	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	